



JALAUN POLICE

दिनांक – 13.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उपरोक्त महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को माना न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमे में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त लोकेन्द्र राठौर पुत्र स्वर्गीय रामसेवक राठौर नियम ग्राम छोना थाना रामपुरा जनपद जालौन द्वारा की गयी हत्या की घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रामपुरा में मुआझसं 218/2019 (वाद संख्या 19/2020) धारा 302 भादवि के तहत पंजीकृत हुआ था एवं आरोपी लोकेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माना न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 13.12.2024 को माना न्यायालय ए.डी.जे. स्पे. ई.सी. कोर्ट उर्द्द, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त लोकेन्द्र राठौर उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।